न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :–संदीप कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 50/18

1. शिम्भू पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 33 एनपी तहसील रायसिंहनगर

–प्रार्थी

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र चन्दुराम जाति बावरी निवासी 33 एनपी तहसील रायसिंहनगर
2. मनजीत पुत्र ओमप्रकाश जाति बावरी निवासी 33 एनपी तहसील रायसिंहनगर
3. सीता पुत्री ओमप्रकाश जाति बावरी निवासी 33 एनपी तहसील रायसिंहनगर
4. सोमा पुत्री ओमप्रकाश जाति बावरी निवासी 33 एनपी तहसील रायसिंहनगर
5. द्रोपती पुत्री ओमप्रकाश जाति बावरी निवासी 33 एनपी तहसील रायसिंहनगर
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–अप्रार्थीगण

राजस्थान अभिकृति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र।

उपस्थिति :–

1.श्री सुशील गोदारा, वकील प्रार्थी
2. श्री सन्दीप जोशी, वकील अप्रार्थी सं. 2ता4

–:निर्णय:–

दिनांक :– 9.7.19

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी शिम्भू पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी चक 33 एन पी रायसिंहनगर ने जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क की उपधारा 1 के अधीन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक 33 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 22 प.नं. 191/331 की 1.797है0 व मु.नं. 24 प.नं. 193/331 की 6.074है भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी सं. 1ता5 की कृषि भूमि चक 33 एनपी के मु.नं. 23 के कि.नं. 1ता5 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा पत्थर लाईन के साथ एवं मु.नं. 22 के कि.नं. 1–2–3–4 में से होते हुए किला नं. 5 में प्रवेश करने के लिए 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2ता 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पास मु.नं. 22 में 7 बीघा भूमि का रास्ता प्रार्थीकी जमीन में से होकर जाता हैं। प्रार्थी के पास दो तरफ से रास्ते लगते हैं। एक उत्तर से दक्षिण का रास्ता व एक सरकारी रास्ता कि.नं. 5 से 25 जो जमाबंदी में कटा हुआ हैं। प्रार्थी की कि.नं. 1 में ढाणी एवं मन्दिर बना हुआ हैं। कि.नं. 1ता4 व में खाला बना हुआ हैं। किला नं. 5 से पूर्व से पश्चिम भी रास्ता लगता हैं। इस प्रकार प्रार्थी के पास जाने के लिए दो रास्ते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। इस पर तहसीलदार रायसिंनहगर से मौका जॉच रिपोर्ट ली गयी। मुताबि रिपोर्ट तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर क्रमांक राजस्व/19/26 दिनांक 27.02.2019 के अनुसार चक 33 एनपी की जमाबंदी समवत 2069–72 के खाता सं. 26 के प.नं. 191/331 मु.नं. 22 कि.नं. 4/2 में .126, 5–6 प्रत्येक में .228, कि.नं. 7–14 में .506, कि.नं. 15–16 में .228है0, 17 में .213, कुल 1.797है0, नहरी मय खाला एवं प.नं. 193/331 मु.नं. 24 कि.नं. 1ता4 में .912, कि.नं. 5 में .202, 6 में .228, 7ता14 में 2.024, 15–16 में .456है0 कि.नं. 17 से 24 में 2.024है0 कि.न. 25 में .228है0 कुल 6.074है0 नहरी भूमि शिम्भू वल्द धन्नाराम कौम बावरी सा0देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायसिंहनगर के दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा चक 33 एनपी के मु.नं. 23 के कि.नं. 1ता5 व मु.नं. 22 कि.नं. 1ता4 में दो–दो बिस्वा रास्ता चाहा गया हैं। मु.नं. 23 में 1ता5 दो–दो बिस्वा गै0मु0 रास्ता एवं मु.नं. 22 में 5–6–15–16–25 में गै0मु0 रास्ता रिकार्ड के अनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी चाहे तो इन रास्तों का उपयोग कर अपनी भूमि में जा सकता हैं। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का विवाद–स्थगन नहीं हैं। उक्त रकबा को रास्ता होने के कारण यह अन्तर्गत धारा 251क में नहीं आता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

उभय पक्ष के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बताते हुए अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु चक 33 एनपी के मु.नं. 23 के कि.नं. 1ता5 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा पत्थर लाईन के साथ एवं मु.नं. 22 के कि.नं. 1–2–3–4 में से होते हुए किला नं. 5 में प्रवेश करने के लिए 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने इस पर एतराज करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के पास अपनी धृति में प्रवेश करने हेतु रास्ता उपलब्ध हैं। अतः रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार वैकल्पिक रास्ता होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार के प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हैं। वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता के कारण प्रार्थना पर राज0 काश्त0 अधि0 की धारा 251 क(1) की शर्तों को पूरा नहीं हैं। वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता होते हुए मात्र प्रार्थी की सुविधा हेतु रास्ता स्वीकार किए जाने के बिन्दु पर विचार नहीं किया जा सकता। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 9.7.19 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संदीप कुमाार)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner